**श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–31.12.2025 को सहरसा जिले में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद–सह–समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–**

उपस्थिति:– पंजी में दर्ज।

सर्वप्रथम प्रभारी जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा, अपर सचिव, भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, पुलिस अधीक्षक, सहरसा एवं अन्य सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्राप्त कर राजस्व संबंधी कार्यो की एजेण्डावार समीक्षा प्रारंभ की गयी। समीक्षा के क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा एजेण्डावार निम्नांकित निदेश दिये गये, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

**01. Mutation Defect Check Application Status :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 01.04.2025 से 29.12.2025 के बीच नवहट्टा अंचल द्वारा स्वीकृत किये गये 3253 आवेदनों में से 1669 आवेदनों तथा पतरघट अंचल द्वारा स्वीकृत किये गये 1240 आवेदनों में से 833 आवेदनों को Revert किया गया है, जो कुल का लगभग क्रमशः 51% एवं 67% है। इतने अधिक संख्या में Revert किये जाने पर खेद व्यक्त करते हुए भविष्य मे पूर्ण रूपेण ठीक से समीक्षा कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

उक्त से संबंधित सुलखुआ, सौरबाजार, महिषी एवं नवहट्टा अंचलों में KC के स्तर पर सर्वाधिक लंबित पाये गये आवेदनों क्रमशः 584, 444, 419 एवं 345 के साथ ही, अन्य सभी अंचलों में KC के स्तर पर लंबित सभी आवेदनों को दिनांक 14.01.2026 तक शत–प्रतिशत निष्पादित करने का निदेश दिया गया है।

Mutation Defect Check Application Status का हल्कावार समीक्षा के क्रम में पतरघट प्रखंड अन्तर्गत गोलमा पूर्वी एवं पश्चिमी, नवहट्टा प्रखंड अन्तर्गत नवहट्टा पश्चिमी, सलखुआ प्रखंड अन्तर्गत चानन, नवहट्टा प्रखंड अन्तर्गत बकुनियाँ एवं सलखुआ प्रखंड अन्तर्गत अलानी हल्का में KC के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या क्रमशः 91, 76, 92, 65 एवं 72 पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। सभी अंचल अधिकारी KC के स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा कर लंबित सभी आवेदनों को दिनांक 14.01.2026 तक शत–प्रतिशत निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

**02. Average Time taken to Dispose Mutation Application :–**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला अन्तर्गत विभिन्न अंचलों द्वारा प्रतिदिन औसतन निष्पादित किये गये दाखिल–खारिज वादों की संख्या की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कहरा अंचल द्वारा प्रतिदिन निष्पादित किये गये आवेदनों की संख्या 123 है। अंचल कार्यालय, कहरा द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिए अंचल अधिकारी, कहरा द्वारा सम्पादित कार्यो की प्रशंसा की गयी तथा इसी तरह शेष अंचल अधिकारियों को भी कहरा अंचल के अनुरूप कार्यो में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

**03. Online Mutation :–**

अंचलवार Online दाखिल–खारिज वादों की समीक्षा के क्रम में महिषी, सोनवर्षा, बनमा ईटहरी एवं कहरा अंचलों में 120 दिनों से अधिक अवधि से लंबित आवेदनों की संख्या क्रमशः 309, 261, 244 एवं 202 पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

इसी प्रकार हल्कावार Online दाखिल–खारिज वादों की समीक्षा के क्रम में कहरा अंचल अन्तर्गत नगर परिषद, बनमा ईटहरी अंचल अन्तर्गत ईटहरी व संहुरिया एवं महिषी अंचल अन्तर्गत तेलवा पूर्वी/तेलवा पश्चिमी हल्का में लंबित दाखिल–खारिज वादों की संख्या क्रमशः 310, 213, 211 एवं 214 पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

Online Mutation का हल्कावार समीक्षा के क्रम में नगर परिषद, धबौली पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी, अतलखा, किशनपुर, पटुआहा, महिषी उत्तरी/महिषी दक्षिणी, नरियार, बरियाही एवं नवहट्टा पश्चिमी में क्रमशः 5533, 3333, 1135, 1834, 1259, 1209, 2081, 1669 एवं 1390 आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। पृच्छा करने पर संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को Online दाखिल–खारिज वादों की समीक्षा कर एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित प्रगति लाने का निदेश दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को सूचना दी गयी कि आने वाले समय में Online Mutation में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल अधिकारी को चिन्हित कर उनके कार्यो की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग से किया जाएगा।

सभी अंचल अधिकारियों को लंबी अवधि से लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर शत–प्रतिशत निष्पादित करने का निदेश दिया गया। साथ हीं, अपर समाहर्त्ता, सहरसा एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर को हल्कावार सर्वाधिक दाखिल–खारिज वादों से संबंधित आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने की जाँच कर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

पी0पी0टी0 के माध्यम से ऑनलाइन म्यूटेशन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अंतिम 05 अंचल बनमा इटहरी, सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, पत्तरघाट एवं महिषी का निष्पादन प्रतिशत न्यून रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया कि आगामी दिनांक–14.01.2026 तक सभी अंचल अपने लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें। पुनः आगामी समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जायेगी।

**04. Parimarjan Plus (For Digitized Jamabandi) :–**

समीक्षा के क्रम में Parimarjan Plus (For Digitized Jamabandi) से संबंधित कुल 131 आवेदन अंचलाधिकारी, महिषी एवं 139 आवेदन अंचलाधिकारी, कहरा के स्तर पर लंबित पाया गया। पृच्छा के क्रम में CO Kahra द्वारा बताया गया कि 05 राजस्व ग्राम का खतियान उपलब्ध नहीं रहने के कारण अधिक संख्याँ में आवेदन लंबित प्रदर्शित हो रहा है।

माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि यदि किसी अंचलाधिकारी के पास किसी राजस्व ग्राम/मौजा के खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं हों तो उसे अभिलेखागार, दाखिल–खारिज हेतु पूर्व में संधारित की गई पंजी तथा संबंधित राजस्व ग्राम के जानकार बुर्जुग व्यक्तियों/आमजनों से सूचना प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

Parimarjan Plus (For Digitized Jamabandi) का हल्कावार समीक्षा के क्रम में बनगाँव (पूर्वी, उत्तरी एवं दक्षिणी, अंचल–कहरा) में सर्वाधिक 87 आवेदन तथा शाहपुर (अंचल–सत्तरकटैया) हल्का में 75 आवेदन लंबित पाये जाने पर खेद प्रकट किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित सभी अंचल अधिकारियों को हल्कावार लंबित सभी आवेदनों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर 14 जनवरी, 2025 तक इन्हें निष्पादित कराये जाने का निदेश दिया गया।

**05. Parimarjan Plus (For Digitized Jamabandi) (2025-26) :–**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में Parimarjan Plus (For Digitized Jamabandi) हेतु Online दायर वादों की समीक्षा के क्रम में नवहट्टा अंचल द्वारा निष्पादित वादों का प्रतिशत 90.88 पाये जाने पर अंचल अधिकारी, नवहट्टा द्वारा संपादित कार्यो की प्रशंसा की गयी तथा अन्य अंचल अधिकारियों को भी नवहट्टा अंचल के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

**06. Parimarjan Plus (For Left Out Jamabandi) :–**

समीक्षा के क्रम में उक्त मद में 120 दिनों से अधिक की अवधि में अंचल कार्यालय महिषी में कुल 59 आवेदन एवं कहरा अंचल में 57 आवेदन लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा 14 जनवरी, 2026 तक लंबित सभी आवेदनों क निष्पादन कराये जाने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।

Parimarjan Plus (For Left Out Jamabandi) का हल्कावार समीक्षा के क्रम मे 120 दिनों से अधिक की अवधि से बनगाँव (अंचल–कहरा), महिसरहो (अंचल–महिषी) एवं नवहट्टा पश्चिमी (अंचल–नवहट्टा) हल्का में कमशः 12–12 आवेदन लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

सभी अंचल अधिकारियों को 14 जनवरी, 2026 तक हल्कावार लंबित सभी आवेदनों का शत–प्रतिशत निष्पादन कराये जाने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में Parimarjan Plus (For Left Out Jamabandi) हेतु Online दायर वादों की समीक्षा के क्रम में पतरघट अंचल द्वारा केवल 34.29 प्रतिशत वादों तथा सोनवर्षा अंचल द्वारा केवल 45.38 प्रतिशत वादों का ही निष्पादन किये जाने पर खेद प्रकट किया गया।

सभी अंचल अधिकारियों को 14 जनवरी, 2026 तक उक्त मद में निष्पादन के प्रतिशत में गुणात्मक प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

**07. E-mapi (2025-26) :–**

समीक्षा के क्रम में सोनवर्षा, पतरघट, सौरबाजार एवं सलखुआ अंचल में मापी हेतु क्रमशः 46, 18, 32 एवं 25 आवेदन लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। एक माह में औसतन 11 आवेदन के विरूद्ध मापी का कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु अंचल अधिकारी, कहरा को धन्यवाद दिया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि जब कभी किसी अमीन को मापी हेतु भेजा जाता है तो मापी हेतु चिन्हित किये गये स्थल के आस–पास में मापी हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर समीप के स्थल की भी मापी कराये जाने का निदेश उन्हें दिया जाय। साथ ही, सभी अंचल अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित तिथि पर मापी का कार्य सम्पादित कराये जाने का निदेश दिया गया।

**08. Abhiyan Basera-2 :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सोनवर्षा अंचल अन्तर्गत सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या 2983 के विरूद्ध केवल–255 परिवारों को भूमि आवंटित की गयी है। इसी प्रकार सौरबाजार एवं पतरघट अंचल द्वारा सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों की कुल संख्या क्रमशः 1880 एवं 2313 के विरूद्ध क्रमशः केवल 198 एवं 257 परिवारों को ही अद्यतन भूमि आवंटित की जा चुकी है।

उक्त धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए सर्वेक्षण के अनुरूप दिनांक 14 जनवरी, 2026 तक भूमि आवंटित किये जाने का निदेश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।

**09. Govt. Land Verification Report :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा Plot Verification नहीं किया गया है। पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा बताया गया कि विगत 08 मार्च, 2025 से तकनीकी खराबी के कारण किया गया Plot Verification प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

आई०टी० प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपांकित तकनीकी खराबी को अविलम्ब ठीक करने का निदेश दिया गया। सभी अंचल अधिकारियों को लंबित Plot Verification का कार्य प्राथमिकता के आधार पर 14 जनवरी, 2026 तक किये जाने का निदेश दिया गया।

**10. Maha-Abhiyan Application Received Status :–**

समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 14 जनवरी, 2026 तक निष्पादन में अपेक्षित प्रगति लाने का निदेश दिया गया। सभी अंचलाधिकारियों को सूचित किया गया कि 15 जनवरी, 2026 के पश्चात् खराब प्रदर्शन करने वाले अंचल की समीक्षा V.C के माध्यम से की जाएगी।

**11. Public Grievance :–**

समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, सहरसा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर, अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों के स्तर पर अद्यतन कुल 348 आवेदन लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

सभी संबंधित पदाधिकारियों को जन शिकायत से संबंधित प्राप्त आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर एक पक्ष के अन्दर कराये जाने का निदेश दिया गया।

**12. DCLR RCMS : BLDRA :–**

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में दायर भूमि विवाद से संबंधित वादों की समीक्षा के क्रम में अद्यतन 36 वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा के न्यायालय में तथा 69 वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

पृच्छा करने पर दोनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं द्वारा बताया गया कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के कारण लंबित मामलों का निष्पादन ससमय नहीं किया जा सका है तथा लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

दोनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ता प्राथमिकता के आधार पर भूमि विवाद से संबंधित दायर वादों का निष्पादन जनवरी, 2026 तक अचूक रूप से करना सुनिश्चित करेंगे।

**13. DCLR RCMS : Mutation Appeal –**

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा एवं सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में दायर दाखिल–खारिज से संबंधित वादों की समीक्षा के क्रम में अद्यतन 2476 वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा के न्यायालय में तथा 1471 वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में निष्पादन हेतु लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

पृच्छा करने पर दोनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के कारण लंबित मामलों का निष्पादन ससमय नहीं किया जा सका है तथा लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

दोनों भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दाखिल–खारिज से संबंधित लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।

**14. ADM RCMS : Mutation Revision –**

समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में दायर दाखिल–खारिज अपील वाद से संबंधित वादों में से अद्यतन 172 वाद न्यायालय में लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। साथ ही, पारित आदेश की ऑन लाईन प्रविष्टि नहीं कराये जाने के संदर्भ में पृच्छा की गयी।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा बताया गया कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में सम्बद्ध होने के कारण लंबित मामलों की संख्या अधिक है तथा अद्यावधि लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा पारित आदेशों की प्रविष्टि ऑन लाईन की गयी है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा दाखिल–खारिज अपील वाद से संबंधित लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, पारित आदेश की पुनः ऑन लाईन प्रविष्टि कराते हुए पारित आदेश से संबंधित विवरणी विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

**15. ADM RCMS : Jamabandi Cancellation –**

समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में दायर जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित वादों में से अद्यतन 1228 वाद न्यायालय में लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। साथ ही, पारित आदेश की ऑन लाईन प्रविष्टि नहीं कराये जाने के संदर्भ में पृच्छा की गयी।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा बताया गया कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में सम्बद्ध होने के कारण लंबित मामलों की संख्या अधिक है तथा अद्यावधि लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है तथा पारित आदेशों की प्रविष्टि ऑन लाईन की गयी है।

अपर समाहर्त्ता, सहरसा जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पारित आदेशों की पुनः ऑन लाईन प्रविष्टि कराते हुए पारित आदेश से संबंधित विवरणी विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

**16. DM-RCMS :-जमाबंदी रद्दीकरण अपील, लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1954 एवं प्रश्रय प्राप्त रैयत अधिनियम 1947 :-**

समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में दायर जमाबंदी रद्दीकरण अपील से संबंधित कुल 14 वादों में से अद्यतन 11 वाद न्यायालय में लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। साथ ही, समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1954 के तहत दायर कुल 01 वाद तथा प्रश्रय प्राप्त रैयत अधिनियम 1947 के तहत दायर कुल 04 वादों को निष्पादित पाया गया।

समाहर्त्ता, सहरसा जमाबंदी रद्दीकरण अपील से संबंधित लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।

**17. Commissioner RCMS Jamabandi Cancellation Rivision एवं BLDRA Appeal :-**

समीक्षा के क्रम में आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद से संबंधित कुल 46 वादों में से अद्यतन 43 वाद तथा भूमि विवाद अपील वाद से संबंधित कुल 126 वादों में से 118 वाद न्यायालय में लंबित पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद एवं भूमि विवाद अपील वाद से संबंधित लंबित वादों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।

**18. ADM एवं DCLR POP Score and Rank - November, 2025 :-**

समीक्षा के क्रम में नवम्बर, 2025 में राज्य स्तर पर अपर समाहर्त्ता, सहरसा का 38वाँ Rank, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा का 96 वाँ Rank, एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर का 63 Rank, पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए जनवरी, 2026 में राज्य स्तर पर Rank में सुधार लाने का निदेश दिया गया।

**19. CO POP Score and Rank : Work Disposal Evaluation Report : November, 2025 :-**

समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारियों के माह–नवम्बर, 2025 का Work Disposal Evaluation Report की समीक्षा के क्रम में राज्य स्तर पर सोनवर्षा अंचल का क्रमांक 533 वॉ Rank, सिमरी बख्तियारपुर अंचल का 513 वॉ Rank एवं नवहट्टा अंचल का 510 वॉ के साथ ही, अन्य सभी अंचलों का Rank काफी नीचे पाये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।

सभी अंचलाधिकारियों को विभागीय सभी कार्यो में गुणात्मक प्रगति लाते हुए अपने Rank में कम से कम 100 Rank का सुधार कर Rank को ऊपर लाने का निदेश दिया गया।

आई०टी० प्रबंधक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना 01 जनवरी, 2026 से 15 जनवरी, 2026 तक सभी अंचलाधिकारियों द्वारा मदवार किये गये निष्पादन की समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन तैयार करेंगे।

**20. खनन :–**

प्रभारी खनन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि विभाग से सहरसा जिला को कुल –15 करोड़ 58 लाख रूपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध अद्यतन मो० 34 लाख 79 हजार रूपये का संग्रहण/उपलब्धि प्राप्त कर ली गयी है तथा शेष राजस्व संग्रह वर्त्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किया जाएगा।

पृच्छा के क्रम में प्रभारी खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत कुल–02 बालू घाट है, जहाँ से सफेद बालू की उगाही की जाती है। साथ ही, जिलान्तर्गत कुल–96 चिमनी (ईंट भट्ठा) अधिष्ठापित है, जहाँ से अद्यावधि 42 लाख 92 हज़ार राजस्व की वसूली की गयी है, जो कुल राजस्व का लगभग 50% है।

**निदेश :–**

- विभिन्न कार्य प्रमंडलों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची प्राप्त कर उसमें खनन विभाग की कितनी सहभागिता/सम्बद्धता है, का आकलन करें।
- निजी जमीन से निजी कार्य हेतु मिट्टी काटने पर किसी भी प्रकार का रोक/प्रतिबंध नहीं है। इसका अनुपालन दृढ़ता से करायें।

**21. नगर निगम :–**

नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा द्वारा विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की मदवार अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया।

समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा निम्न निदेश दिये गये :–

- चयनित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध कराने हेतु विभाग से आवंटन की माँग की जाय।

- पी0एम0 स्वनिधि योजना के तहत बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आवंटित की गयी राशि (10,000 से 15,000) की समीक्षा कर रेन्डमली कुछ व्यक्तियों का फिजिकली जाँच किया जाय।
- नगर निगम क्षेत्र की साफ-सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय। उक्त मद में खर्च की जानेवाली राशि के अनुरूप स्वच्छता का अनुपालन दृढ़ता से कराया जाय।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा Video Calling के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि उनके पदाधिकारी तथा कर्मीगण अपने कार्य-दायित्वों का निर्वहण कर रहे हैं अथवा नहीं तथा कार्य स्थल पर उपस्थित हैं अथवा नहीं।
- भविष्य में नगर निकायों की अलग से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसकी पूर्व तैयारी कर लिया जाय।

**22. अन्यान्य :-**

- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा अंचल अधिकारी, महिषी को गैर मजरूआ आम एवं खास की जमीन को चिन्हित कर एतद संबंधी सुस्पष्ट सूची अपर समाहर्त्ता, सहरसा को अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि अनाधिकृत रूप से सरकारी जमीन का कायम किये गये जमाबंदी को रद्द किया जा सके।
- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से प्राप्त होने वाले आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का निदेश दिया गया। विशेषकर पर्चाधारियों से प्राप्त आवेदन का निष्पादन तत्परता के साथ किया जाय।

<u>माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निदेश :-</u>

i. ऐसे सरकारी भूमि जिसका हस्तांतरण बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये दुसरे विभाग को कर दिया गया है को चिन्हित कर उनका जमाबंदी दिनांक 01.01.2026 से रद्द करना प्रारंभ करेंगे।

ii. भूमि सुधार उप समहर्ता एवं अपर समाहर्त्ता अपने-अपने न्यायालय द्वारा पारित आदेश की ऑनलाईन प्रविष्टि आदेश पारित किये जानेवाली तिथि को ही करायेंगे।

iii. प्रत्येक अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर प्राप्त होनेवाले आवेदनों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। जनता दरबार हेतु तिथि निर्धारित कर आमजन को इसकी पूर्व सूचना दी जाय। उक्त जनता दरबार में संबंधित अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा राजस्व कर्मचारीगण अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

iv. भूमि विवाद से संबंधित शनिवारीय बैठक अब थाना के स्थान पर अंचल कार्यालय में आयोजित की जाय।

v. प्रत्येक अंचल कार्यालय के सूचनापट्ट पर संबंधित अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का नाम एवं मोबाईल नंबर अंकित कराया जाय।

vi. अंचल कार्यालय तथा जिला कार्यालय से गायब जमीन संबंधी अभिलेख को उपलब्ध करानेवाले व्यक्ति को "बिहारी योद्धा" के रूप में सम्मानित किया जायेगा।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

# बिहार सरकार
## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026–– 244 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

E-mail

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा/समाहर्त्ता, सहरसा/अपर समाहर्त्ता, सहरसा/नगर आयुक्त, सहरसा/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा/सभी अंचल अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026–– 244 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक –

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (बैठक कार्यवाही)–05/2026–– 244 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक – 19.02.26

प्रतिलिपि–माननीय उप मुख्यमंत्री–सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।